COURT FEE INDIA भारत TEN RUPEES

(6)

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक /11 M-2110-I/2011

रामचरण पुत्र श्री हीरालाल जाति गौड
निवासी ग्राम मालनुपर थाना मालनपुर
परगना गोहद जिला भिण्ड --- प्रार्थी

बनाम

म.प्र. शासन जर्ये अधीक्षक भू-अभिलेख,
व्यपर्वतन भिण्ड --- प्रतिप्रार्थी

कठ०० 15-12-11

आवेदन-पत्र वास्ते प्रकरण पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत्

श्रीमान् जी,

प्रार्थी की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, उक्त प्रकरण न्यायालय श्रीमान् के समक्ष दिनांक 15/6/2011 को रिकार्ड तलबी हेतु नियत था ।

2- यह कि, उक्त प्रकरण अभिभाषक की डायरी में दिनांक अंकित नहीं होने के कारण उक्त दिनांक को अभिभाषक उपस्थित नहीं हो सके । पक्षकार दिनांक 08/12/2011 को अभिभाषक से अपने प्रकरण की जानकारी हेतु मिला तब अभिभाषक द्वारा प्रकरण की जानकारी न्यायालय से ली गई तब पता चला कि प्रकरण 15/6/2011 अदम पैरवी में समाप्त हो गया है । उक्त त्रुटि अभिभाषक की डायरी में उक्त प्रकरण की ऐन्ट्री न होने के कारण हुई । उक्त त्रुटि सद्भावना पर आधारित किये जाने से क्षमा किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है ताकि प्रकरण का गुण-दोषों पर निराकरण हो सके । 50 ग 2492/04 नि.मल है

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर दिनांक 15/6/2011 को पारित आदेश अपास्त कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने की कृपा करें ।

दिनांक - /12/2011

प्रार्थी

रामचरण

द्वारा अभिभाषक

(Anurag Sanad Adv)

(51)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक मिसलेनियस 2110—एक/2011 जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10—4—2014	आवेदक अधिवक्ता द्वारा रेस्टोरेशन की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह रेस्टोरेशन आवेदन लगभग 6 माह बाद प्रस्तुत किया गया है जो अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है तथा विलम्ब का कोई समाधानकारक कारण भी अपने तर्को में नहीं बतलाया है । अतः प्रथमदृष्टया यह रेस्टोरेशन आवेदन समय बाह्य होने से इसी स्तर पर अग्राह्य किया जाता है। प्रशासकीय सदस्य	